भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 42
गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>हरित हाइड्रोजन नीति</u>

42. श्री विद्युत बरन महतो:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री प्रतापराव जाधव: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपनी ऊर्जा हस्तांतरण योजना के भाग के तौर पर देश की पहली हरित हाइड्रोजन नीति शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत देश में ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मिशन के अंतर्गत प्रतिवर्ष उत्पादित होने वाली हरित हाइड्रोजन की मात्रा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा आगामी पांच वर्षों हेतु हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादकों को प्रदान करने हेतु प्रस्तावित धनराशि की मात्रा कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके यौगिकों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात हेतु वैश्विक केन्द्र में परिवर्तित करने हेतु उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) दिनांक 17 फरवरी, 2022 को विद्युत मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन संबंधी उपायों के संबंध में आदेश जारी किए थे।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 4 जनवरी, 2023 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अनुमोदित किया था। मिशन के तहत, अन्य के साथ-साथ, कई वित्तीय और गैर-वित्तीय उपायों की घोषणा की गई है, जो निम्नलिखित हैं:

i. निर्यातों एवं स्वदेशी उपयोग के जरिए मांग सृजन में सुविधा प्रदान करना;
ii. ग्रीन हाइड्रोजन परिवर्तन के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (साइट) कार्यक्रम, जिसमें इलेक्ट्रोलाइजरों के निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन शामिल है;

iii. इस्पात, आवागमन, पोत परिवहन आदि के लिए पाइलट परियोजना;

iv. ग्रीन हाइड्रोजन केन्द्रों का विकास;

v. अवसंरचना विकास के लिए सहायता;

vi. विनियमों एवं मानकों की मजबूत व्यवस्था स्थापित करना;

vii. अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम;

viii. कौशल विकास कार्यक्रम; और

ix. जन-जागरुकता एवं पहुंच कार्यक्रम।

(ख) से (ङ): ग्रीन हाइड्रोजन परिवर्तन के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (साइट) कार्यक्रम 17,490 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रमुख वित्तीय उपाय है। कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रोलाइजरों के स्वदेशी निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में सहायता करने के लिए दो अलग-अलग वित्तीय प्रोत्साहन व्यवस्थाओं का प्रस्ताव है।

साइट कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों का चयन स्थानीय मूल्य वृद्धि, दक्षता, न्यूनतम प्रोत्साहन की मांग आदि सहित योजना के अधिसूचित दिशानिर्देशों और कई मानदंडों के अनुसार पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीटिर्क टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

(च) ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 से पहले चालू की गई परियोजनाओं के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन अमोनिया के उत्पादक को 25 वर्षों की अवधि के लिए अंतर-राज्य पारेषण शुल्कों से छूट दी गई है।

ii. जून, 2022 में अधिसूचित विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन) नियमावली, 2022 में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए खुली पहुंच द्वारा अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

iii. ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित विभिन्न मानक तैयार किए गए हैं और इन्हें अपनाने पर विचार करने के लिए संबंधित एजेंसियों को भेज दिया गया है।

*****